राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2436/2016

श्रीमती मंजू शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् द्वितीय, तृतीय मंजिल, ब्लॉक नं. 5, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.09.2016
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की सेवा अवधि को दिनांक 01.05.2014 से 24.08.2015 तक की अवधि को नियमित माना जावे और उक्त अवधि का वेतन भी भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा वार्षिक वेतन वृद्धि एवं चयनित वेतनमान आदि की शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, घंटाली पंचायत समिति पीपल खूंट, बांसवाडा पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 12.09.2013 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर श्रीमती सरोज देवी को पदस्थापित कर दिया गया

और अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसे अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1595/2013 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 12.09.2013 की पालना में कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश दिये, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अंतरिम स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया, जिसके संबंध में अवमानना की याचिका संख्या 105/2013 प्रस्तुत की और अधिकरण ने आदेश दिनांक 06.02.2014 के द्वारा कार्यग्रहण करवाने के आदेश दिये। विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 884/2014 को प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी की दिनांक 30.04.2014 तक की सेवा अवधि को नियमित स्वीकृत कर दी गई, परंतु निर्देशों की पालना नहीं की गई। जबकि अपीलार्थी को गलत तरीके से कार्यमुक्त कर दिया गया था और आदेश दिनांक 28.08.2014 के द्वारा उसकी प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर दिया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया गया और उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुये दिनांक 09.09.2014 से 16.09.2014 तक प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उनका कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका के आदेश दिनांक 23.03.2015 में प्रत्यर्थी विभाग को शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं पालना नहीं किये जाने का विस्तृत कारण पूछा गया, जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 23.03.2015 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजीव नगर, जयपुर पदस्थापित कर दिया गया। परंतु दिनांक 01.05.2014 से 24.08.2015 तक की अवधि को नियमित नहीं किया गया और न ही वेतन आदि का भुगतान उक्त अवधि का अपीलार्थी को किया गया, जो नियम एवं नीति के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की सेवा अवधि को दिनांक 01.05.2014 से 24.08.2015 तक की अवधि को नियमित माना जावे और उक्त अवधि का वेतन भी भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा वार्षिक वेतन वृद्धि एवं चयनित वेतनमान आदि की शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी दिनांक 01.05.2014 से 24.05.2015 तक अपीलार्थी ने कोई कार्य नहीं किया है और इस प्रकार नो वर्क नो

पे के आधार पर अपीलार्थी वेतन पाने की हकदार नहीं है। आदेश दिनांक 23.03.2015 में अपीलार्थी ने न तो कोई कारण का उल्लेख किया और अपीलार्थी अपने ईच्छानुसार उक्त अवधि में अनुपस्थित रही है। इस प्रकार अपीलार्थी की उक्त अवधि को नियमित किया जाना नियमों के विपरीत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.05.2008 के द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर पदस्थापित करते हुये उसे आदेश दिनांक 12.09.2008 के द्वारा पवालिया सांगानेर पदस्थापित किया गया। परंतु आदेश दिनांक 12.09.2013 के द्वारा श्रीमती सरोज देवी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देते हुये अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1595/2013 प्रस्तुत की गई तथा अधिकरण द्वारा दिनांक 17.10.2013 के द्वारा उक्त आदेश के क्रम में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने के आदेश जारी करते हुये अंतरिम आदेश जारी किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2014 एवं 23.03.2015 की पालना में अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया गया। परंतु दिनांक 01.05.2014 से 24.08.2015 तक की अवधि की सेवाओं को नियमित नहीं माना गया और न ही उक्त अवधि का वेतन आदि भुगतान किया गया। जहां तक अपीलार्थी को उक्त अवधि दिनांक 01.05.2014 से 24.08.2015 तक की अवधि की सेवाओं को नियमित नहीं मानते हुये वेतन आदि का भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अधिकरण के आदेश दिनांक 17.10.2013 में विभाग को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी को अग्रिम आदेश तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे। परंतु विभाग द्वारा उक्त आदेशों को नजरअंदाज करते हुये अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अवमानना याचिका एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आदेशों को चुनौती दी, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाते हुये पदस्थापित कर दिया गया है, परंतु अपीलार्थी की दिनांक 01.05.2014 से 24.08.2015 तक की सेवा अवधि को नियमित नहीं मानते हुये वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया। जबकि हमारे मत में अपीलार्थी की तरफ से कोई गलत/लापरवाही प्रकट नहीं होती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ही अधिकरण के आदेशों की नियमानुसार नियत तिथी में पालना नहीं कराई गई जो

अवमानना की श्रेणी में आता है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी उक्त अवधि की सेवा को नियमित मानते हुये वेतन आदि का लाभ प्राप्त करने की हकदार है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की दिनांक 01.05.2014 से 24.08.2015 तक की सेवा अवधि को नियमित मानते हुये नियमानुसार वेतन आदि समस्त लाभ भुगतान किये जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)